राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :–रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
12/2020	14.07.2020	02.02.2021

उनवान

रामावतार बनाम दीपक

प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0

उपस्थितिः श्री रणवीर सिंह यादव वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से
श्री पृथ्वीसिंह यादव एडवोकेट प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की ओर से

–:: निर्णय::–

दिनांक :–02.02.2021

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये।

वकील प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि –वादीगण ने यह वाद बिना कॉज ऑफ एक्शन के न्यायालय का समय जाया करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो धारा 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में आने के कारण इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र/प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो से स्पष्ट होता है कि वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण धारा 251 ए राज0 काश्त अधि0 की तारीफ में नही आता है वादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रकरण में जिम्मन नम्बर 3, 4 व 5 में दर्ज तथ्यो के आधार पर वादी/प्रार्थी के सिविल अधिकारो व सुखधिकारो का हनन होता है अर्थात कदीम से चालु रास्ता को जब किसी के द्वारा बन्द कर दिया जाता है तो ऐसा विवाद नियमानुसार सिविल कोटे में दायर किये जाने चाहिए अर्थात वादीगण/प्रार्थीगण उक्त प्रकरण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारित होने योग्य है। वादीगण/प्रार्थीगण ने विवादित खसरा नम्बर जहॉ से कदीम रास्ता चालू रहा है जिन खसरा नम्बर में से रास्ते को खुलवाना चाहते है उन खसर नम्बर के खातेदारो को पक्षकार नही बनाया तथा जिस भूमि को रास्ता कदीम चालु बताया गया उन खसरा नम्बर 1219 रकबा 0.03 है0, 1220 रकबा 0.05 है0 में मात्र 1/8 हिस्सा वादीगण/प्रार्थीगण के हिस्से आता है अर्थात वादीगण/प्रार्थीगण की कुल आराजी एक ऐयर भी नही आ रही है जो तथ्य वादीगण/प्रार्थीगण द्वार छुपाये गये है किसी भी जिम्मन में दर्ज नही किये गये वादीगण/प्रार्थी[illegible] तथ्यो को छुपाते हुये अदालत श्रीमान को गुमराह करते हुये वाद पत्र/प्रार्थना पत्र दायर [illegible] है [illegible] उक्त खसरा नम्बर 1104 के बाबत माननीय रास्व मण्डल अजमेर मे निगरानी विचाराधीन है [illegible] उक्त खसरा नम्बर में निर्णय पारित नही किया जा सकता इस बाबत राजस्व रिकोर्ड में जमा[illegible] पर अलग से नोट अंकित है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए की तारीफ में नही आता विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:23:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज0

वकील वादी/प्रार्थी का जबाब प्रार्थना पत्र रहा कि :- यह है कि अप्रार्थी ने अदालत श्रीमान में प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत पेश कर रास्ते को अधिनियम के प्रावधानुसार किमतन राजस्व रिकोर्ड में अंकन कराने बाबत अनुतोष चाहा है। क्योंकि उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0 नं0 1113 व 1217 में से जाता है। राजस्व रिकोर्ड में रास्ता नहीं है, किन्तू अब तक प्रार्थीगण ने कभी एतराज नहीं किया परन्तू रास्ता रिकोडेर्ड नहीं होने से अब प्रार्थीगण रास्ते को बंद करना चाहते है, राज्य सरकार ने काश्तकारो की सुविधा व आवश्यकता के लिये दिनांक 18/01/2012 को विधि में प्रावधान किया कि काश्तकार को अपनी आराजी तक पहुंचने के लिये दूसरे खातेदार की आराजी में से किमतन रास्ता दिया जावे और रिकोर्ड में अंकन किया जावे रास्ता अब तक चालू रहा परन्तू काश्तकारो की सहमति से चालू रहा लेकिन रिकोर्ड में अंकन के अभाव में विवाद बढ गया और रास्ते में अवरोध पैदा किया और मुकदमेबाजी बढी इसलिये मुकदमो की बाहुल्यता रोकने के लिये सरकार धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान दिया है कि रास्ते का अंकन व अवाप्त भूमि की एवज में संबंधित खातेदार को रास्ते में अवाप्त भूमि की किमत डी एल सी की दौगुनी राशि दिलायी जाकर किया जावे और उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान अदालत को निर्धारित किया गया है। अप्रार्थी का अनुतोष भी यही है कि किमतन या रास्ते की भूमि के बदले भूमि देकर ख0 नं0 1113 व 1217 में से रास्ता कायम कर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावे अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधिनुसार पेश किया गया है, किसी विधी से बाधित नहीं है ना ही अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार से बाधित है। अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है, जो अल्प अवधि विचारण की प्रकिया है, जिस पर आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 जाप्ता दिवानी के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 जाप्ता दिवानी केवल वादो पर ही लागू होते है, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 सीपीसी विधि के प्रावधानो के खिलाफ पेश किया है, कूननी प्रकिया का दुरूपयोग किया गया है। आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी के प्रार्थना पत्र केवल वाद पर ही लागू होती है, जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है। जिस पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी लागू नहीं होने से काबिल खारिज है, क्षेत्राधिकार का प्रश्न प्रकरण के प्रारम्भीक स्तर पर प्रार्थना पत्र के जरिये तय नहीं किये जा सकते है। प्रकरण के विचारण में मैरिट पर उज्रात तय किये जाते है। प्रार्थी ने स्पष्ट नहीं किया कि किस ख0 नं0 के खातेदारो व कौनसे खातेदार को पक्षकार प्रार्थना पत्र में नहीं बनाया गया है, अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ख0 नं0 1113 व 1217 में से रास्ता कायमी का अनुतोष चाहा है। उक्त दोनो ख0 नं0 के सभी खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया कि ख0 नं0 1219, 1220 में अप्रार्थीगण का बहुत कम हिस्सा बनता है, लेकिन यह प्रार्थना पत्र खारीजी का आधार नहीं हो सकता उक्त ख0 नं0 1219, 1220 के सिवाय प्रार्थीगण तरअप्रार्थीगण व उनके अन्य सहखातेदारान की दीगर सामलाती आराजीयात भी है जो दीगर सहखातेदारान के हिस्सें एवं कब्जे में है, केवल ख0 नं0 विशेष में प्रार्थीगण का कितना हिस्सा है, इसका ऐतराज प्रार्थी को करने का अधिकार नहीं है, यह ऐतराज अप्रार्थी के सहखातेदारान कर सकते है, प्रार्थी केवल अपने ख0 नं0 के बाबत ऐतराज कर अपना बचाव पक्ष रखने का अधिकार है, ख0 नं0 1104 के बाबत प्रार्थी ने निगरानी 'माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में चलना व जमाबन्दी में नोट लगा होना बताया है। परन्तु प्रार्थी ने यह नहीं बताया की किसके खिलाफ निग्रानी है, किस विवाद के बाबत निग्रानी रही है, क्या अब उक्त निग्रानी विचाराधीन है या निर्णीत हो चुकी है, एवं अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] 4 में अंकित किया है कि ख0 नं0 1096 व 1104 की हद तक कोई विवाद नहीं है एवं ना [illegible] नम्बर में से रास्ता कायमी हेतू अनुतोष चाहा है। ख0 नं0 1096 गैरमुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व [illegible] है, एवं ख0 नं0 1104 गैरमुमकिन चाह है, जिसमें रास्ता है, और उक्त ख0 नं0 [illegible] है, जब उक्त ख0 नं0 1104 के खिलाफ रास्ता कायमी हेतू कोई अनुतोष नहीं है [illegible] उसके खातेदारान को पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नहीं है, ना ही पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अतार्किक अभिवचन अंकित किये है, विधिक प्रकिया का दुरूपयोग करने एवं प्रार्थना की सुनवायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:23:33 IST
Reason: SelfAttested

१५६ –

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

को बाधित व देरी करने की मंशा से कानूनी प्रकिया के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया है, क्योंकि प्रार्थना पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम समरी विचारण का प्रकरण जो वाद की श्रेणी में नहीं आते है, सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 केवल वाद पर ही लागू है। अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानुसार पूर्ण रूप से धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में है, और उक्त धारा के सभी पहलुओं पर खरा साबित है, अप्रार्थीगण ने किमतन रास्ता कायमी के लिये अनुतोष चाहा है।

प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की सीधी बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के बिन्दूओं को दोहराते हुये प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज करने का निवेदन किया है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी/वादीगणने जबाब प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के बिन्दूओं को दोहराते हुये प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया गया।

न्यायालय प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 स्वीकार योग्य पाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

2/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (जिला अलवर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:23:33 IST
Reason: SelfAttested